

प्रेषक,
उमेश सिन्हा
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 5 मई, 2008

विषय:—जनपदों को रु. 50 लाख प्रति जनपद की दर से पूंजीगत विकास कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रु. 40.00 लाख तथा शहरी क्षेत्रों हेतु रु. 10.00 लाख अर्थात् कुल मिलाकर रु. 50.00 लाख प्रति जनपद की दर से रु. 35.00 करोड़ (रुपये पैतीस करोड़ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्नक के स्तम्भ-5 में इंगित धनराशि सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- 1- यह धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिस मद के लिए स्वीकृत की गयी है। इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 2- योजना में कार्यों पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
- 3- यह धनराशि कोषागार से आहरित कर सम्बंधित जनपद के डी.आर.डी.ए. के पी. एल.ए. में रखी जायेगी तथा पी.एल.ए. से धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- 4- प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यों का चयन और कार्यान्वयन शासनादेश संख्या-1191/35-4-2007, दिनांक 26 मार्च, 2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन किया जायेगा और उक्त शासनादेश के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत मद पर होने वाला व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूंजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य एवं शहरी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत

परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-03-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-859/दस-2008, दिनोंक 29 अप्रैल, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(उमेश सिन्हा)
सचिव ।

संख्या: 254 (1)/35-4-2008 तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त।
- 4- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
- 10- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- गार्ड फाइल

आज्ञा से,


(उमेश सिन्हा)
सचिव ।

(धनराशि लाख रु. में)

क्र.सं	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद की अवमुक्त धनराशि
	लेखाशीर्षक	-4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय- 05-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-गृहद निर्माण कार्य	- 4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय- 80-अन्य शहरी विकास योजनायें- 800-अन्य व्यय- 03- पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था 24-गृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
1	आगरा	40.00	10.00	50.00
2	अलीगढ़	40.00	10.00	50.00
3	एटा	40.00	10.00	50.00
4	झीनपुरी	40.00	10.00	50.00
5	फिरोजाबाद	40.00	10.00	50.00
6	मथुरा	40.00	10.00	50.00
7	हाथरस	40.00	10.00	50.00
8	आजमगढ़	40.00	10.00	50.00
9	मऊ	40.00	10.00	50.00
10	बलिया	40.00	10.00	50.00
11	इलाहाबाद	40.00	10.00	50.00
12	कौशाम्बी	40.00	10.00	50.00
13	प्रतापगढ़	40.00	10.00	50.00
14	फतेहपुर	40.00	10.00	50.00
15	कानपुर नगर	40.00	10.00	50.00
16	कानपुर देहात	40.00	10.00	50.00
17	इटावा	40.00	10.00	50.00
18	फरुखाबाद	40.00	10.00	50.00
19	कन्नौज	40.00	10.00	50.00
20	औरैया	40.00	10.00	50.00
21	गोरखपुर	40.00	10.00	50.00
22	देवरिया	40.00	10.00	50.00
23	महराजगंज	40.00	10.00	50.00
24	कुशीनगर	40.00	10.00	50.00
25	बस्ती	40.00	10.00	50.00
26	संतकबीर नगर	40.00	10.00	50.00
27	सिद्धार्थनगर	40.00	10.00	50.00
28	फैजाबाद	40.00	10.00	50.00

क्र.सं	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अयमुक्त धनराशि
	लेखाशीर्षक	-4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय- 05-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-बृहद निर्माण कार्य	- 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय- 80-अन्य शहरी विकास योजनायें- 800-अन्य व्यय- 03- पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था 24-बृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
29	सुल्तानपुर	40.00	10.00	50.00
30	बाराबंकी	40.00	10.00	50.00
31	अम्बेडकर नगर	40.00	10.00	50.00
32	गोण्डा	40.00	10.00	50.00
33	श्रावस्ती	40.00	10.00	50.00
34	बलरामपुर	40.00	10.00	50.00
35	बहराइच	40.00	10.00	50.00
36	वाराणसी	40.00	10.00	50.00
37	गाजीपुर	40.00	10.00	50.00
38	चन्दौली	40.00	10.00	50.00
39	जौनपुर	40.00	10.00	50.00
40	मिर्जापुर	40.00	10.00	50.00
41	संतरविदासनगर भदोही	40.00	10.00	50.00
42	सोनभद्र	40.00	10.00	50.00
43	हमीरपुर	40.00	10.00	50.00
44	धिन्नकूट	40.00	10.00	50.00
45	बांदा	40.00	10.00	50.00
46	महोबा	40.00	10.00	50.00
47	झांसी	40.00	10.00	50.00
48	ललितपुर	40.00	10.00	50.00
49	जालौन	40.00	10.00	50.00
50	बरेली	40.00	10.00	50.00
51	पीलीभीत	40.00	10.00	50.00
52	शाहजहाँपुर	40.00	10.00	50.00
53	बदायूं	40.00	10.00	50.00
54	मुरादाबाद	40.00	10.00	50.00
55	रामपुर	40.00	10.00	50.00
56	बिजनौर	40.00	10.00	50.00
57	ज्योतिबाफूले नगर	40.00	10.00	50.00
58	मेरठ	40.00	10.00	50.00

क्र.स	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अवमुक्त धनराशि
	लेखाशीर्षक	-4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय- 05-पूंजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य	- 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय- 80-अन्य शहरी विकास योजनायें- 800-अन्य व्यय- 03- पूंजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था 24-वृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
59	बागपत	40.00	10.00	50.00
60	बुलन्दशहर	40.00	10.00	50.00
61	गौतमबुद्धनगर	40.00	10.00	50.00
62	गाजियाबाद	40.00	10.00	50.00
63	सहारनपुर	40.00	10.00	50.00
64	मुजफ्फरनगर	40.00	10.00	50.00
65	लखनऊ	40.00	10.00	50.00
66	रायबरेली	40.00	10.00	50.00
67	उन्नाव	40.00	10.00	50.00
68	हरदोई	40.00	10.00	50.00
69	सीतापुर	40.00	10.00	50.00
70	खीरी	40.00	10.00	50.00
	योग	2800.00	700.00	3500.00
(रूपये पैंतीस करोड मात्र)				


 (उमेश सिन्हा)
 सचिव नियोजन।